तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज श्रवणराम बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 136 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].10.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रवणराम पुत्र हरीराम पता ढिण्डों का बास, डांगियावास, तहसील मण्डोर जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.06.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के खसरा संख्या 88, 89, 90, 88 / 1, 13, 74, 68, 68 / 1, 184, 212, 213, 217, 209, 347, 354, 355, 301, 208, 305, 345, 242, 242 / 1, 247, 247 / 1, 247 / 2, 274 / 3, 208 / 1, 208 / 2, 306, 311, 312, 314, 339, 361, 40, 40 / 1, 40 / 2, 300, 300 / 1, 293, 375, 377 की सम्पूर्ण जमाबन्दी सम्वत् 2012 से लेकर 2074 की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्र प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1329 दिनांक 20.09.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय बिलाड़ा से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 888 दिनांक 27.06.17 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा प्रार्थी को भी सूचनार्थ पत्र प्रति दी गई। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधिक प्रकिया के तहत तहसीलदार बिलाड़ा को स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा सूचना नहीं दी गई। अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	